संचिका सं0–9 / आ0–3–10 / 2008

बिहार सरकार

स्वा0 विभाग

आदेश

डा0 अशोक कुमार सिन्हा, तत्कालिन सिविल सर्जन, शेखपुरा के विरूद्ध अल्पकालीन निविदा प्रकाशन करके न्यूनतम निविदादाता से दवाओं का क्रय नहीं करने तथा बिना निविदा के दवाओं का क्रय करने के परिणाम स्वरूप 2,03,472 / –रू0 की हेरा–फेरी / गबन करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध अनुबंध में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम से असहमत होते हुए डा0 सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। डा0 सिन्हा द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में अपने बचाव में यह दावा किया गया कि न्यूनतम निविदादाता द्वारा दवाओं की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण द्वितीय निविदादाता से दवाओं की आपूर्ति प्राप्त की गई, क्योंकि दवाओं का क्रय किया जाना आवश्यक था।

सम्पूर्ण मामले में जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। जिला पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि डा0 सिन्हा द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की गई है एवं बिना क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त किये द्वितीय निविदादाता से दवाओं का क्रय किया गया है।

डा0 सिन्हा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि डा0 सिन्हा के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होते हैं।

डा0 सिन्हा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके पेंशन से 50% एवं उपादान से 10% राशि की कटौती करने का दंड निर्धारित किया गया है।

विभागीय दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा असहमति व्यक्त की गई।

विभागीय दंड प्रस्ताव एवं आयोग की असहमति पर विचारोपरान्त यह पाया गया है कि अयोग द्वारा अपनी असहमति में उन कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके आधार पर आयोग ने विभागीय दंड प्रस्ताव से अपनी असहमति व्यक्त किया है। परिणाम स्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयोग की असहमति को स्वीकार नहीं किया जाए।

डा0 अशोक कुमार सिन्हा, तत्कालीन सिविल सर्जन, शेखपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि डा0 सिन्हा के पेंशन से 50% एवं उपादान से 10% राशि की कटौती की जायेगी। तदनुसार आदेश दिया गया है कि डा0 सिन्हा के पेंशन 50% एवं उपादान से 10% राशि की कटौती की जाए। उन्हें यह दंड विभागीय अधिसूचना सं0–829(9) दिनांक 17.07.13 द्वारा दिया गया।

उपर्युक्त दंडादेश के विरूद्ध डा0 अशोक कुमार सिन्हा द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक 06.08.14 को समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा की गयी और यह पाया गया कि उनके विरूद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप प्रमाणित है। उनके अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य / तर्क

प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके अभ्यावेदन में उल्लिखित यह तथ्य भी निराधार है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उनपर विभागीय कार्यवाही चलाया जाना इसलिए नियत संगत नहीं है क्योंकि वह बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) तहत संचालित नहीं की गयी है। सत्य तो यह है कि डा0 अशोक कुमार सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के विभागीय संशोधित संकल्प सं0 560(9) दिनांक 20.06.11 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 'बी' के तहत संपरिवर्तित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत डा0 अशोक कुमार सिन्हा तत्कालीन सिविल सर्जन, संप्रति–सेवानिवृत द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 6.8.2014 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(देवचन्द्र चौधरी)
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 57(9) /दिनांक– 29/01/2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग. बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/मुजफ्फरपुर/सविलि सर्जन शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 अशोक कुमार सिन्हा, तत्कालीन सिविल सर्जन, शेखपुरा सम्प्रति सिविल सर्जन वैशाली। पता– शिव कॉलोनी, पटेल नगर, हिलसा, जिला– नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव (स्वा0) के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,7,8,10 एवं 17 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

29/1

सरकार के अवर सचिव